

2018 का विधेयक संख्यांक 84

[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 3) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2018

वित्तीय वर्ष 2017-18 की सेवाओं के लिए भारत की संचित
निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय
और विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2018 है । संक्षिप्त नाम ।
- 5 2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग नब्बे खरब, अड़सठ अरब, पैंतीस करोड़, सतहतर लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संदाय किए जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी । वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत की संचित निधि में से 90,68,35,77,00,000 रुपए का निकाला जाना ।
- 10 3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹0	₹0	₹0
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 3,00,000	..	3,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी 92,88,00,000	..	92,88,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	राजस्व 4,93,50,00,000	..	4,93,50,00,000
6	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
8	भेषजीय विभाग	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 2,00,00,000	..	2,00,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व 20,27,00,000	..	20,27,00,000
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी 5,25,55,00,000	..	5,25,55,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व 20,41,43,00,000	5,77,00,000	20,47,20,00,000
		पूंजी 1,08,15,00,000	..	1,08,15,00,000
14	दूरसंचार विभाग	पूंजी 15,74,54,00,000	..	15,74,54,00,000
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी 1,00,000	..	1,00,000
17	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
18	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
19	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व 5,78,69,00,000	92,00,000	5,79,61,00,000
		पूंजी 4,00,000	..	4,00,000

1	2	3		
		₹0	₹0	₹0
20	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	4,00,000	.. 4,00,000
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी	1,00,000	1,13,31,00,000 1,13,32,00,000
22	रक्षा पेंशन	राजस्व	92,60,23,00,000	.. 92,60,23,00,000
23	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	1,34,00,00,000	.. 1,34,00,00,000
24	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	40,00,00,00,000	.. 40,00,00,00,000
25	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	.. 3,00,000
		पूंजी	2,00,000	.. 2,00,000
26	इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	9,56,00,000	36,67,00,000 46,23,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	.. 3,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	4,00,000	.. 4,00,000
		पूंजी	2,00,000	.. 2,00,000
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	2,00,000	.. 2,00,000
		पूंजी	78,32,01,00,000	.. 78,32,01,00,000
33	राजस्व विभाग	राजस्व	12,32,15,57,00,000	.. 12,32,15,57,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	3,05,09,00,000	.. 3,05,09,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	1,00,000	.. 1,00,000
		पूंजी	1,00,000	.. 1,00,000
	भारित - ब्याज अदायगियां	राजस्व	..	57,21,90,00,000 57,21,90,00,000
	भारित - ऋण का प्रतिदाय	पूंजी	..	69,49,66,17,00,000 69,49,66,17,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	2,75,94,44,00,000	.. 2,75,94,44,00,000
		पूंजी	22,57,70,00,000	.. 22,57,70,00,000
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	14,13,60,00,000	.. 14,13,60,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	1,00,000	.. 1,00,000
		पूंजी	1,00,000	.. 1,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	31,07,00,000	.. 31,07,00,000
48	पुलिस	राजस्व	5,83,30,00,000	.. 5,83,30,00,000
		पूंजी	1,00,000	.. 1,00,000
49	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	54,18,00,000	.. 54,18,00,000
		पूंजी	10,00,000	.. 10,00,000
50	चंडीगढ़	राजस्व	2,00,000	.. 2,00,000
		पूंजी	4,00,000	.. 4,00,000
51	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	66,40,00,000	.. 66,40,00,000

1	2	3	रु0	रु0	रु0
52	दमण और दीव	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूँजी	28,39,00,000	..	28,39,00,000
53	लक्षद्वीप	पूँजी	2,00,000	..	2,00,000
56	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व	28,50,00,00,000	..	28,50,00,00,000
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	68,28,59,00,000	..	68,28,59,00,000
58	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	64,03,53,00,000	..	64,03,53,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
61	विधि और न्याय	पूँजी	4,13,47,00,000	..	4,13,47,00,000
64	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
65	खान मंत्रालय	राजस्व	2,00,00,00,000	..	2,00,00,00,000
66	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
67	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
68	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
69	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	पूँजी	7,31,00,000	16,22,00,000	23,53,00,000
72	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	4,00,00,00,000	..	4,00,00,00,000
74	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
		पूँजी	1,60,00,00,000	..	1,60,00,00,000
80	रेल मंत्रालय	राजस्व	4,18,30,00,000	2,50,70,00,000	6,69,00,00,000
		पूँजी	1,00,000	6,13,71,00,000	6,13,72,00,000
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूँजी	25,29,27,00,000	..	25,29,27,00,000
84	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	1,85,35,00,000	..	1,85,35,00,000
		पूँजी	2,00,000	..	2,00,000
87	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	7,22,00,000	..	7,22,00,000
		पूँजी	1,00,000	..	1,00,000

1	2	3	रु0	रु0	रु0
88	कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	राजस्व	5,19,00,000	..	5,19,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
90	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	1,00,00,00,000	..	1,00,00,00,000
91	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	3,40,27,00,000	..	3,40,27,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
92	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	12,00,00,000	..	12,00,00,000
94	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	10,02,00,000	..	10,02,00,000
95	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
96	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	3,28,00,000	1,44,13,00,000	1,47,41,00,000
97	शहरी विकास मंत्रालय	राजस्व	11,20,00,00,000	..	11,20,00,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
98	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	7,27,61,00,000	..	7,27,61,00,000
		पूंजी	2,36,00,000	..	2,36,00,000
99	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
100	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राजस्व	19,02,00,000	..	19,02,00,000
योग		:	20,49,66,27,00,000	70,18,69,50,00,000	90,68,35,77,00,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो भारत की संचित निधि पर भारत अनुपूरक व्यय और लोक सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

अरुण जेटली